

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्र. राभाप्र/2026/अंक-12/5035

16 अप्रैल, 2026

परिपत्र/Circular

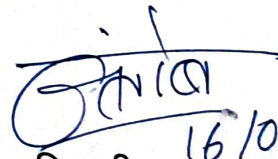
माह सितम्बर, 2026 में प्रकाशित होने जा रही राजभाषा उन्नयन की पत्रिका
'भाषा भारती' (ISSN 2321-5704) में प्रकाशन हेतु सामग्री आमंत्रण

विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली गृह राजभाषा पत्रिका 'भाषा भारती' (ISSN 2321-5704) के आगामी माह सितम्बर, 2026 में प्रकाशित होने जा रहे अंक के प्रकाशन हेतु विश्वविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं विद्यार्थियों से राजभाषा को बढ़ावा देने तथा सरकारी कामकाज में उपयोगी विषयों पर केन्द्रित आलेख, कविता, कहानी, लघु कथा, निबंध, ग़ज़ल, संस्मरण, जीवनी, डायरी, साक्षात्कार, समीक्षात्मक लेख, यात्रा वृत्तांत एवं रिपोतार्ज आदि मौलिक एवं अप्रकाशित सामग्री सादर आमंत्रित है।

ध्यातव्य है कि पत्रिका देशभर के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, मंत्रालयों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों को भी प्रेषित की जाती है। अतः सामग्री की भाषा-शैली एवं प्रस्तुतिकरण विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुकूल होने चाहिए।

सामग्री हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी हिन्दी फॉण्ट कृति देव-10 फॉण्ट साईज 14 में होनी चाहिए। सामग्री (कलर फोटो एवं सम्प्रति सहित) की सॉफ्ट कॉपी भाषा भारती पत्रिका की अधिकृत ई-मेल आई.डी. bhashabharati26@gmail.com पर भेजी जा सकती है।

प्रकाशन हेतु एकत्रित सामग्री का चयन सम्पादक मण्डल द्वारा किया जायेगा। प्रकाशन हेतु सामग्री दिनांक 15 मई, 2026 तक राजभाषा प्रकोष्ठ को अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिये।


16/04/26

प्र. राजभाषा अधिकारी/प्रधान सम्पादक
भाषा भारती

प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. समस्त अधिष्ठातागण/विभागाध्यक्ष/अधिकारीगण/प्रभारी/निदेशकगण/समन्वयक- अपने अधीनस्थों को टीप कराने हेतु।
2. प्रभारी वित्ताधिकारी, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं विद्यार्थीगण।
4. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. कुलपति जी को निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
6. कुलसचिव जी को निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
7. कार्यालय नस्ती।